Health & Wealth
We Manage Both

Alankit LIMITED

01st August, 2024

BSE Limited
P. J. Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
C-1, Block G, Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400051

Scrip Code: 531082

Symbol : ALANKIT

Dear Sir/Ma'am,

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Publication of Announcement of Fake Social Media Accounts Impersonating the "Alankit Limited" and Its Group Companies

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), read together with Part A of Schedule III thereto, please find enclosed herewith, a copy of the newspaper advertisement, in **"Rashtriya Sahara, Dated: 31.07.2024"**
Company has made a publication of Announcement related to Fake Social Media Accounts Impersonating as Mr. Ankit Agarwal, the Managing Director of the Company, using his photograph by creating fake groups with name of the **"Alankit Limited"** (name/logo/registered trademark e.t.c.) and Its Group Companies.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For ALANKIT LIMITED

MANISHA SHARMA
Digitally signed by MANISHA SHARMA
Date: 2024.08.01 16:24:41 +05'30'

MANISHA SHARMA
COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
M.NO. A58430

Enclosed: As stated above

केरल के वायनाड में हुई भीषण भूस्खलन की घटना में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु से गहरे दुख और पीड़ा में हूं।
——सीताराम येचुरी, महासचिव माकपा

उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक राजनीति के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।
—— अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

'इंडिया' गठबंधन की केजरीवाल की रिहाई की मांग

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखकर उनकी रिहाई की मांग को लेकर मंगलवार को 'इंडिया' गठबंधन के नेता जंतर-मंतर पर एकत्र हुए और विपक्ष की 'आवाज को दबाने' के लिए भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दलों के नेताओं ने ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर के 'बेसमेंट' में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। रैली के दौरान 'भारत माता की जय' और 'तानाशाही खत्म करो' के नारे लगाए गए। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा अरविंद केजरीवाल लोगों के लिए लड़े हैं।

■ भाजपा नीत केंद्र सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने का लगाया आरोप

भाकपा (माले) के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के तीन वरिष्ठ नेताओं-केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को 'साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया।' भट्टाचार्य ने रैली के दौरान आरोप लगाया, 'दिल्ली में अराजकता के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस अराजकता ने राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की जान ले ली। भाजपा ने तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की जान ले ली।' भट्टाचार्य ने दावा किया, 'उन्होंने साजिश के तहत आम आदमी पार्टी को खत्म करने, दिल्ली सरकार को कमजोर करने की कोशिश की। निर्वाचित मुख्यमंत्री जेल में है। उमर खालिद और कई कार्यकर्ता दिल्ली दंगों के झूठे आरोपों में जेल में है। भीमा कोरेगांव फर्जी मामले में फादर स्टेन स्वामी जेल में थे और हिरासत में रहते हुए उनकी मौत भी हो गई।

आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि हिरासत में केजरीवाल का रक्त शर्करा का स्तर कम हो रहा है। राय ने कहा, 'केजरीवाल को निचली अदालत और उच्चतम न्यायलय से जमानत मिल गई थी, लेकिन उन्हें जेल में रखने की साजिश रची गई। भाजपा विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डालना चाहती है? यूपीएससी के तीन अभ्यर्थियों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है?' आप नेता ने कहा, 'उपराज्यपाल से घटना के बारे में पूछा गया, तो वह चुप हो गए। केजरीवाले का इस्ताफा मांगने वाली भाजपा ने दिल्ली सरकार की शक्तियां छीन लीं। वह अधिकार चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही मांगने पर भाग जाते है।' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई 'इंडियन नेशनल डेवलेपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) की रैली में मौजूद थे।

केजरीवाल की जान खतरे में, भाजपा कर रही नफरत की राजनीति : सुनीता केजरीवाल

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने मंगलवार को दावा किया कि तिहाड़ जेल में उनके पति की जान खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति 'नफरत' फैलाने और राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के काम को रोकने की है। जंतर-मंतर पर 'इंडिया' गठबंधन रैली को संबोधित करते हुए सुनीता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को एक बयान के आधार पर आबकारी नीति मामले में फंसाया गया।

उन्होंने कहा, 'प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया? यह साजिश और दबाव के कारण हुआ।' निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी, लेकिन केंद्र ने दोहरी कार्रवाई की - ईडी ने जमानत पर रोक लगवा दी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वह पिछले 22 साल से मधुमेह से पीड़ित हैं, लेकिन हमें उन्हें इंसुलिन दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।' केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति का जिक्र करते हुए सुनीता ने कहा कि उनके (केजरीवाल) हाथ में एक सेंसर बंधा हुआ है, जो उनके शर्करा के स्तर को रिकॉर्ड करता है।

अगर रक्त शर्करा का स्तर 50 से नीचे चला जाता है, तो मरीज कांपने लगता है। जब केजरीवाल घर पर थे, तो ऐसा पांच महीने में एक बार होता था और हम उन्हें स्थिर करने के लिए कुछ मीठा देते थे। लेकिन कुछ दिन पहले हमें पता चला कि जेल में उनका शर्करा का स्तर कई बार कम हो गया है।' 'मैं भगवान की शुक्रगुजार हूं कि उनके (केजरीवाल) साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। उनकी जान को खतरा है। हाल ही में उपराज्यपाल साहब ने एक पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री जानबूझकर कम खाना खा रहे हैं। यह कैसा मजाक है। उन्होंने यह भी कहा कि वे इंसुलिन कम ले रहे हैं। जब रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो इंसुलिन दिया जाता है।'

जंतर-मंतर पर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर इंडिया अलांयस के समर्थकों (इनसेट) को संबोधित करते पंजाब के सीएम भगवंत मान। *फोटो : अनिल निन्हा*

RBMI GROUP OF INSTITUTIONS
APPOINTMENT
Principal/ Director / HOD/ Associate Prof./ Asst. Professor for B.Ed., BBA, BCA, B.Com, and B.Sc.
Qualification:- Accoding to the rules of UGC and Chaudhary Charan Singh Univeristy, Meerut, NET/Ph.D degree with 60% Marks in Post-Graduation with relevant experience.
Apply along with CV, testimonial & Photo through email/ Post within 5 days to Director(HR)
Plot No.04, Knowledge Park-III, Gr. Noida
Mobile No.-7217023086
Email:- contact@rbmi.in, Web: www.rbmi.in

IMPORTANT ANNOUNCEMENT for FAKE SOCIAL MEDIA ACCOUNTS
Alankit Group of Companies is NOT associated with any fake WhatsApp group claiming affiliation with us. We will NOT be liable for any losses incurred from information or recommendations disseminated by these fraudulent groups. Do not fall prey to these scams. Always verify information through official channels.
Mr. Puneet Asthana
Senior Manager-Legal
ALANKIT LIMITED
Alankit House,
4E/2, Jhandewalan Extension,
New Delhi-110055

आबकारी नीति मामला : पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर 12 को विचार करेगी कोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र पर अदालत संज्ञान लेने के मुद्दे पर 12 अगस्त को विचार करेगी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इसके साथ ही पहले से दाखिल आरोप पत्र पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का पक्ष सुनने का मामला भी उसी दिन के लिए स्थगित कर दी।

■ केजरीवाल के खिलाफ दाखिल पूरक आरोप पत्र का मामला

■ सीबीआई का पक्ष सुनने का मामला भी उसी दिन के लिए स्थगित

सीबीआई ने 29 जुलाई को इस मामले में केजरीवाल एवं पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था और उसमें केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक एवं पूरे घोटाले का सूत्रधार बताया है। उसने कहा कि उनकी संलिप्तता को दर्शाने के लिए कई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। यह आरोप पत्र केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यवसायी पी. सरथ रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के खिलाफ दाखिल किया गया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 जुलाई को केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस मामले में 17 जुलाई को केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका एवं अंतरिम जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, वहीं सीबीआई ने कहा है कि पूरे साक्ष्य आने पर ही कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।

उत्तर रेलवे
आज़ादी का अमृत महोत्सव
निविदा आमंत्रण सूचना

कार्य का नाम और इसकी स्थिति : 30-Elect-42-T-2024-25-E3 रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/ईईएम/180/11 दिनांक 09.11.2021 के अनुसार एसएसई/पीएस/रोहतक, जींद और जाखल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे क्वार्टरों की रिवायरिंग के संबंध में विद्युत कार्य।
निविदा की अनुमानित लागत : रु. 290.07 लाख
कार्यालय का पता : वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता / जी, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
बयाना राशि : रु. 2,95,000.00
निविदा निवेदन की दिनांक व समय : 28.08.2024, 12.00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक व समय : 28.08.2024, 12.00 बजे
वेबसाइट व नोटिस बोर्ड : www.ireps.gov.in /वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/जी, नई दिल्ली

2312/2024
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे
आज़ादी का अमृत महोत्सव
निविदा सूचना
ई-टेंडरिंग द्वारा निविदा आमंत्रण (ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली)
GeM बोली संख्या: GEM/2024/B/5215810 दिनांक: 27.07.2024

1	**कार्य का नाम व स्थान :** एक नं वाहन (एसयूवी) किराये पर 3000 किमी तक मासिक आधार पर आधिकारिक उपयोग के लिए ब्रिज लाइन सहायक अधि. अभि. पुल लाइन/ अम्बाला के लिए GeM पोर्टल के माध्यम से 03 वर्षों की अवधि के लिए 24x7 आउटस्टेशन (एसयूवी में सात लोगों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए)।
2	**कार्य की अनुमानित लागत :** रु. 16,18,200/-
3	**अग्रिम धन :** लागू नहीं
4	**कार्य पूर्ण करने की अवधि :** (3) तीन वर्ष
5	**निविदा जमा करने व खुलने की दिनांक :** 12.08.2024 पर 13.00 बजे तक, उसी दिन 13.30 बजे के बाद निविदा खोलना
6	**वेबसाइट का विवरण जहां उपरोक्त निविदा व्याख्या उपलब्ध है :** उपरोक्त निविदा प्रपत्र GeM की साइट www.GeM.gov.in पर उपलब्ध है

निविदा बोली सं.: GEM/2024/B/5215810 दिनांक: 27.07.2024 2308/2024
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
IN THE COURT OF SH. VINOD YADAV, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT) - 02, NORTH-WEST DISTRICT, DELHI ROOM No. 316, ROHINI COURT, DELHI
CS (COMM) No. 645/2022
NEXT DATE OF HEARING 04-09-2024
ICICI Bank Ltd. ...Pliantiff
Versus
Shashi Prabha ...Defendant
To,
Shashi Prabha S/o. Sh. Om Prakash At : Plot No. F-30 F, Arya Samaj Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059.
Mob. No. 8743805343.
Also at : M/s. Concentrix Daksha Pvt. Ltd., 2nd Floor, Tower D, Building No. 14, Cyber City, Gurgaon, H.R-122001.
WHEREAS you, in view of the reports already received, cannot be served in ordinary way. It is hereby notified that if you shall not defend the case on the 04th Day of September, 2024 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.
Given under my hand and the seal of the court on this 25th Day of July, 2024.
District Judge (Commercial Court)-02, North-West, Rohini, Delhi

रैली को लेकर भाजपा ने जताई हैरानी

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन की रैली से ऐसा लगता है कि उनका यह कार्यक्रम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए था। जिन केजरीवाल के समर्थन में यह रैली थी, उन्हें न्यायालय के आदेश पर जेल में रखा गया है। न्यायालय चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दे चुका है, उसमें सरकार की कोई दखल नहीं थी।

In The High Court of Delhi at New Delhi
Notice Under Order V Rule 20 Code of Civil Procedure
Case No.- FAO278/2018 & CM APPL Nos.23274/2018, 23273/2018
Appeal Against order dated 30.11.2016 & 12.02.2018 Passed by Shri. Anil Bhatnagar, Commissioner, Employee's Compensation District North, Labour Welfare Centre, Nimri Colony, Ashok Vihar, Phase-IV, New Delhi.
In Case No. WC/135/NW/11/MISC./14/2404/2149
NATIONAL INSURANCE CO. LTD. Appellant/s
Vs.
ROOBI DEVI & ORS Respondent/s
Notice to: Respondent - 3 & 4
3. Praveen Gupta Prop./Director of M/s Prime Aluminum Plot No.3, Pocket O, Sector-2, Bawana Delhi.
4. Sh. Vijay Kumar Jha S/o Sh. Uger Nath Jha R/o 264, Gali Hari Tea Stall, Sanjay Camp, Haiderpur Village, Delhi
Whereas the above noted appellant has presented an appeal Under Section 30 of E.C. Act 1923 which was listed before the Court on 29-05-2018 and the Court ordered issuance of notice to you and Notice of the application was also ordered to be issued to you. And whereas it has been proved to the satisfaction of the Court that you cannot be served in the ordinary manner. Notice is hereby issued that if you wish to defend the above mentioned appeal & application you may cause an appearance to be entered on your behalf either in person or through an advocate duly appointed by you for the purpose before the Joint Registrar Judicial on 06-08-2024 at 11.00 AM.
If no appearance is made on your behalf, by yourself, your pleader or someone by law authorised to act for you in the said appeal & application on the aforementioned date, no further notice of the subsequent date of hearing of the said appeal & application will be given and the same will be heard and determined exparte in your absence.
Given under my hand and the seal of this Court, this the 16th day of July, 2024.
Assistant Registrar for Registrar General

आवासीय फ्लैट की बिक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित
सुपरटेक आइकन, यूनिट नं. ई-603, छठी मंजिल, नया खंड-I, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014 में आवासीय फ्लैट की बिक्री के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
इच्छुक खरीदार संपर्क कर सकते हैं
राजीव सरावगी
9819110201
ईमेल: vishvaskumar.a@timesgroup.com

गुमशुदा की तलाश

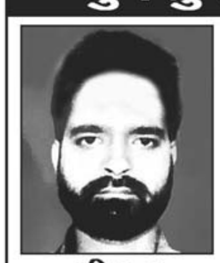
नीरज

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका **नामः नीरज, पुत्रः** करतार सिंह, **पताः** मकान नं. ई–2/154, शास्त्री नगर, दिल्ली, **लिंगः** पुरूष, **उम्रः** 33 साल, **कदः** 5फुट, 9इंच, **रंगः** गेहुँआ, **चेहराः** गोल, **शरीरः** मध्यम, **पहचान चिन्हः** दाएं हाथ पर कट का निशान, **पहनावाः** खाकी रंग की शर्ट, नीले रंग की जीन्स और सलेरी रंग के शार्ट्स जूते पहने हुए है, जो कि अपने घर से 25.07.2024 से लापता है। इस संदर्भ में **DD No. 95A, दिनांक 25.07.2024,** थाना सराय रोहिला, दिल्ली में दर्ज है।
पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अब तक इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस लापता व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो कृपया निम्नलिखित पते पर सूचित करें।
ईमेल : cic@cbi.gov.in
वेबसाइट : http://cbi.nic.in
फैक्स : 011-24368639
दूरभाष : 011-24368638, 24368641
थाना प्रभारी
थाना : सराय रोहिला, दिल्ली
फोनः 8750870133, 9354962259
DP/9888/N/2024

पहचान के लिए अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसका **नामः अज्ञात, पुत्र : अज्ञात, जिन्हे दिनांक 14.06.2024 को मृत हालात में ए–ब्लॉक पार्क, नजदीक ललित डेरी, न्यू मोती नगर, दिल्ली में पाया गया।** इस संदर्भ में **DD No. 28A dated 14.06.2024** पुलिस थाना न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज है।
नीचे मृत व्यक्ति की पहचान दी गई है :
नामः अज्ञात, उम्रः करीब 36 वर्ष ,कदः 5'6'', रंगः गहरा, शरीर पर घाव के कोई निशान नहीं पाये गए।
अगर किसी को इस मृत व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मिले कृपया नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।
वेबसाइटः http://cbi.nic.in, ई–मेलः cic@cbi.gov.in
फोनः 011-24368638/24368641 Fax: 011-24368639
थाना प्रभारी
पुलिस थाना, मोती नगर, नई दिल्ली
फोनः 011-25101150, 87508711525
DP/9795/WD/2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
(धारा 82 सीआरपीसी)
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि **दीपक उर्फ़ सोनू**, पुत्र गोविंद सिंह, निवासी 45 कवल कुंज अपार्टमेंट सेक्टर-13, रोहिणी ने **एफ आई आर नंबर 553/1999 धारा 302/307/212/201/120B/34 भा.द.स, थाना मॉडल टाउन, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है की किया है) और उस पर जारी किये गए गिरफ्तारी के वारंट को यह कह कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **दीपक उर्फ़ सोनू** मिल नहीं रहा और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **दीपक उर्फ़ सोनू** फ़रार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। इस लिए इस के द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि उक्त अभियुक्त **दीपक उर्फ़ सोनू एफ आई आर नंबर 553/1999 धारा 302/307/212/201/120B/34 भा.द.स, थाना मॉडल टाउन, दिल्ली** न्यायालय के समक्ष या मेरे समक्ष उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 31.08.2024. को या उससे पहले हाजिर हो।
आदेश से
श्री. सुशील कुमार एल.डी
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-04
कमरा नंबर 206, दूसरी मंजिल
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली
DP/10027/NW/2024

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
धारा 82 CrPC देखिए
मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **(1) इलाइची देवी**, पत्नीः स्व0 दीन दयाल शर्मा, **(2) नरेंद्र शर्मा**, पुत्रः स्व0 दीन दयाल शर्मा **निवासी** मकान नं0 वी–134, खसरा नंबर 22, वी–ब्लॉक, शिव मंदिर गली, अरविंद नगर, गोंधा, दिल्ली, ने **FIR No. 234/17, Dt. 21.06.17, U/s 406/ 420/448/506/34 IPC, पुलिस स्टेशन सनलाईट कॉलोनी, नई दिल्ली** के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किया गया गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **(1) इलाइची देवी (2) नरेंद्र शर्मा** मिल नहीं रहे है और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **(1) इलाइची देवी (2) नरेंद्र शर्मा** फरार हो गये है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे है)
इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि **FIR No. 234/17, Dt. 21.06.17, U/s 406/ 420/448/506/34 IPC, पुलिस स्टेशन सनलाईट कॉलोनी, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **(1) इलाइची देवी (2) नरेंद्र शर्मा** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **10.09.2024** को या इससे पहले हाज़िर हो।
आदेशानुसार
श्री अदिति राव
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कमरा नं0 508, साकेत कोर्ट काम्पलेक्स, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली
DP/9970/SE/2024 (Court Matter)

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालयः युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
गाजियाबाद शाखाः ओपीएस प्लाजा-तीसरी मंजिल, बी-2, आरडीसी, राज नगर, गाजियाबाद - 201002 (उत्तर प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।
इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 02900001344/ गाजियाबाद शाखा) संजय कुमार (ऋणी) मधु संजय कुमार (सह-ऋणी) आनंद दिलीप सिंह (जमानतदार)	08-11-2023 एवं ₹ 9,86,963/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 167 पर प्लॉट नं.33ए फ्लेट नं. एसएफ 01 दूसरी मंजिल राधा कृष्ण एन्क्लेव ग्राम डासना तहसील जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201002 **चर्तुसीमाएँ** :- पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम - 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- फ्लेट नं. एसएफ-02, दक्षिण- प्लॉट नं. 33	₹ 7,83,900/-	₹ 78,390/-	भौतिक
2	(लोन कोड नं. 02900002039/ गाजियाबाद शाखा) सुरेश इमरता (ऋणी), संजय पारचा (सह-ऋणी)	12-02-2024 एवं ₹ 8,25,760/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 815, प्लॉट नं. 60, अपना आशियाना, ग्राम दानकौर ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 **चर्तुसीमाएँ**:- पूर्व - प्लॉट नं. 50 एवं 51, पश्चिम - 15 फीट रोड, उत्तर- प्लॉट नं. 61, दक्षिण- प्लॉट नं. 59	₹ 5,83,200/-	₹ 58,320/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **16-08-2024 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **17-08-2024** को **दोपहर 03:00 बजे से 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **अनुज सक्सेना (संपर्क नंबर 8149195908)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.aadharhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/- है।**

स्थान : उत्तरप्रदेश
दिनांक : 31.07.2024
सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड